



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19062020-220031
CG-DL-E-19062020-220031

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1763]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 19, 2020/ज्येष्ठ 29, 1942

No. 1763]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 19, 2020/JYAISTHA 29, 1942

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 19 जून, 2020

का. आ. 1983(अ).—राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 6 की उप-धारा (1) के खंड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री शिव दास मीना के स्थान पर श्री अमृत अभिजात, संयुक्त सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक, राष्ट्रीय आवास बैंक के निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त करती है।

[फा.सं. 24/17/2010-आईएफ-II]

आनंद मधुकर, ओएसडी (संयुक्त सचिव स्तर)

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)
NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 2020

S.O. 1983(E).—In exercise of the powers conferred by Clause (e) of Sub-Section (1) of Section 6 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987), the Central Government hereby appoints Shri Amrit Abhijat, Joint Secretary, Ministry of Housing & Urban Affairs, New Delhi as a Director on the Board of Directors of National Housing Bank with immediate effect and until further orders *vice* Shri Shiv Das Meena.

[F. No.24/17/2010-IF-II]

ANAND MADHUKAR, OSD (JS Level)

2704 GI/2020